तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
30-5-18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प टोकसी पर पेश हुई। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं० 97 दि० 23-3-75 ग्राम बिनेगा द्वारा साबिक ख० नं० $\frac{165}{2}$ रकबा 19 बिस्वा ग्राम बिनेगा रहनमुक्त हो चुका था परन्तु हाल रेकार्ड में यह यथावत रहन मुर्तहिन दर्ज है। साबिक ख०नं० $\frac{165}{2}$ के ख०नं० $\frac{375}{0.23}$ व $\frac{376}{0.25}$ बने है। ख०नं० 375 व 376 का विभाजन होकर ख०नं० $\frac{376}{0.12}$ जौहरी, चौथी, बृजलाल पिता पतल्या के नाम दर्ज हुआ है। इसमें जौहरी का $\frac{1}{3}$ हिस्सा गोविन्दसिंह, सुभाषचन्द के नाम आया है एवं ख०नं० $\frac{376}{0.12}$ में रहन मुर्तहिन का नोट यथावत आया है। अतः वादीगण ख०नं० $\frac{376}{0.12}$ से रहन मुर्तहिन का नोट हटवाने के अधिकारी है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर ख०नं० $\frac{376}{0.12}$ ग्राम बिनेगा में दर्ज इन्द्राज "राहिन लक्ष्मीनारायण नरसिंह पि० मद्यचन्द मीना मुर्तहिन" हजफ करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत अभियान (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत अभियान उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

न्यायालय
पीठासीन
1. चौथी पुत्र
2. गोविन्दसिं
3. सुभाषचन्द
1. लैण्ड होल
2. पुखराज
3. भीमसिंह
4. उनीत पुत्र
5. लाला पुत्र
6. गिलासी
7. रामदयाल
8. शिवराम
9. भौती बेवा
10. बृजलाल
मुकदमा नं.

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

1. चौथी पुत्र पतल्या, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
2. गोविन्दसिंह पुत्र जौहरी, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
3. सुभाषचन्द पुत्र जौहरी, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. पुखराज पुत्र लक्ष्मीनारायण, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
3. भीमसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
4. उनीत पुत्र हरज्ञान, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
5. लाला पुत्र हरज्ञान, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
6. गिलासी बेवा हरज्ञान, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
7. रामदयाल पुत्र नरसिंह, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
8. शिवराम पुत्र नरसिंह, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
9. भौती बेवा नरसिंह, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
10. बृजलाल पुत्र पतल्या, मीना निवासी विनेगो तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 14/2017

वादी की ओर से वादीगण चौथी व अन्य की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 30.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद डिक्रि किया जाता है। भूमि ख0नं0 376 रकबा 12 एयर ग्राम विनेगा में दर्ज इन्द्राज ''राहिन लक्ष्मीनारायण नरसिंह पि0 महाचन्द मीना मुर्तहन'' हजफ करने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

यह आज तारीख 30.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- [illegible]

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक 30/5/18

[illegible] चौथीलाल बनाम [illegible]

प्रकरण संख्या :- 14/2017 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207R [illegible]

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री चौथीलाल
... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- [illegible]

... से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

1. चौथीलाल प्रतिवादी पक्ष 1. [signature] 30/5/18

2. .... 2. ....

3. .... 3. ....

4. [signature] सरपंच 4. ....

... के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

...र्थी/वादी .... एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी ....
... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)
(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट

(बाबूलाल जाट)
पीठासीन अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी